(25)

(11-A)

समक्ष सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्र. --------/निगरानी/2016 निग-551-II-16

1-नवीन समाधिया पुत्र स्व.सूरजप्रसाद, आयु 60 साल

2-अनिल समाधिया पुत्र स्व.सूरजप्रसाद, आयु 52 साल

3-संतोष समाधिया पुत्र स्व.सूरजप्रसाद, आयु 48 साल

4-रेखा समाधिया विधवा गिरीश, आयु 36 साल

5-राहुल समाधिया पुत्र स्व. गिरीश, आयु 14 साल

6-अभिषेक समाधिया पुत्र स्व. गिरीश आयु 12 साल

क्र.5 व 6 अवयस्क द्वारा संरक्षिका माता श्रीमति रेखा

सभी निवासी पुराना बस स्टैण्ड गंज सीहोर,

तहसील व जिला सीहोर म.प्र. ------------------निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1/शकुन्तलाबाई पत्नि स्व. भगवानदयाल समाधिया (तथाकथित)

मृत। निवासी तलावली चांदा तहसील सांवेर

जिला इन्दौर।

2/श्रीमति कुसुमबाई पत्नि राजेन्द्र प्रसाद वयस्क

निवासी ग्राम वाजना तहसील माठ

जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) ------------------रेस्पान्डेन्टस

(3) [illegible]

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

विरूद्ध आदेश दिनांक 11/01/2016, प्रकरण क्रमांक-833/अपील/2012-13 शकुन्तलाबाई आदि विरूद्ध नवीन समाधिया व अन्य पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.)

जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के प्रकरण क्रमांक 37/अपील/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30/11/2006 एंव तहसील न्यायालय नायब तहसीलदार सीहोर के प्र.क्र.-2/अ-6/84-85 में पारित आदेश दिनांक 15/7/1985 को निरस्त कर रेस्पांडेंटस का भूमि स्वामी की हैसियत से राजस्वपत्रों में नामांतरण करने का आदेश पारित कियागया।

(52)

श्री एस.के. गुरेडिया अधि. द्वारा आज दि. 18/11/16 को प्रस्तुत

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

महोदय,

निगरानीकर्तागण माननीय अधिनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 से प्रभावित एंव असंतुष्ट होकर निम्नांकित तथ्यों एंव विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

-:: प्रकरण के तथ्य ::-

1- यहकि प्रश्नाधीन भूमि छावनी सीहोर प.ह.नं. 37 स्थित भूमि सर्वे नंबर 170 रकबा 1.77 एकड़ लगान रूपये 17.50 पैसे स्वर्गीय खुशीलालजी के संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति रही है जिसमें उनके भाई क्रमशः मन्नूलाल, दुर्गाप्रसाद, सूरजप्रसाद जीवन पर्यन्त शामिल रहा है। दुर्गाप्रसाद अविवाहित रहे उनका कोई वारिस नहीं रहा। मन्नूलाल की पत्नि श्रीमति रामप्यारीबाई के निधन के बाद उनका भी कोई वारिस नहीं रहा। एक मात्र वारिस भाई सूरजप्रसादजी थे। खुशीलाल का निधन सन् -1958 में हुआ। तदानुसार संयुक्त हिन्दू परिवार के एक मात्र सदस्य स्वं. सूरजप्रसाद का निधन वर्ष 1970 में हुआ। जिसकी टीप पटवारी के द्वारा तत्कालीन ऋण पुस्तिका पर दिनांक 4/12/1966 को दर्ज कीगई।

2:- यहकि स्वं. खुशीलाल के स्वर्गवास होने के 22 वर्ष पश्चात संशोधन पंजी क्र. 18 पर उपरोक्त भूमि पर नामांतरण राजस्व निरीक्षक मण्डल 3 द्वारा दिनांक 12/9/1980 को भगवानदयाल पुत्र खुशीलाल के नाम विधि विरूद्ध कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप निगरानीकर्तागणों की माता कमलाबाई ने आवेदनपत्र प्रस्तुत कर प्र.क्र. 1/अ-6-अ/1980-81 भगवानदयाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसका निराकरण श्रीमान नायब-तहसीलदार बी.एस. चौधरी ने दिनांक 30/4/1981 को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर भगवानदयालजी का नामांतरण निरस्त कियागया और निगरानीकर्तागण की माता कमलाबाई को धारा 164, 110 भू.रा.सं. के तहत आवेदनपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। स्वं. भगवानदयाल ने प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण करने हेतु प्र.क्र. 8/अ-6/1981-82 निगरानीकर्तागण की माता कमलाबाई के विरूद्ध प्रस्तुत किया-जिसे स्वं. भगवानदयाल की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त कियागया। तत्पश्चात निगरानीकर्तागण की माता कमलाबाई ने दिनांक 19/2/85 को राजस्व न्यायालय द्वारा निर्देशानुसार-आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 164-

R-557-II/16

11/7/17 भोपाल.	आवेदक अभिभावक श्री — एस० के० [illegible] उपस्थित होकर — आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि — वह प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण आगे न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सचिव

शाशेमुग्रा—714—असरामप्रग्रा—29-2-2012—15,000.